फर्द अहकाम

भगवान सहाय बनाम मन्नी देवी वगै०

म न्यायालय

कैस संख्या 380/39/2010 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/7/23	प.क. उपस्थित। संशोधित शिफिक व प्रा.पत्र 06 R 17 व 151 CPC का पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रा.पत्र 06 R 17 का उभयपक्षकारान की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। साथ ही अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान के वादी का वाद खारिज डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर की गई है। सहमति के आधार पर वादी वाद खारिज डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कालकाम (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–380 / 306 / 2000
उनवान– भगवानसहाय बनाम मन्नी वगै0
निर्णय दिनांक– 25.08.2023

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–380 / 306 / 2000

उनवान

भगवानसहाय पुत्र रामदेव जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज)

वादी

बनाम

1. मन्नी देवी बेवा चन्दा (फौत) नाम हज्ब
2. हनुमान पुत्र चन्दा (फौत)
   2/1. सीताराम पुत्र हनुमान
   2/2. सुमन देवी पुत्री हनुमान पत्नि कालूराम
   2/3. बीना देवी पुत्री हनुमान पत्नि मोहनलाल
3. बाबुलाल पुत्र चन्दा
4. श्रवण पुत्र चन्दा
5. बिरदीचन्द (फौत) नाम हज्ब
6. श्योजी पुत्र चन्दा
7. मंगल (फौत) नाम हज्ब
8. बंशी पुत्र रामसहाय
9. गोपाल पुत्र रामसहाय (फौत) नाम हज्ब
10. काना पुत्र रामकुवार
11. मोहन पुत्र ग्यारसा
12. रामनाथ (फौत) नाम हज्ब
13. झांझु (फौत) नाम हज्ब
14. रामनारायण
15. प्रभू पुत्र पोखर (फौत) नाम हज्ब
16. नानूराम पुत्र गोरु
17. रामलाल पुत्र गोरु
18. धापा बेवा गोरु
19. नारायणलाल पुत्र घीसा (फौत) नाम हज्ब
20. सांवरमल पुत्र रामकुवार
21. कमलेश पुत्र रामकुवार
22. मन्नी बेवा रामकुवार
23. सुण्डाराम पुत्र भूरा
24. रामकरण पुत्र भूरा
25. बाबूलाल पुत्र भूरा
26. रामलाल पुत्र भूरा
27. लछमा बेवा भूरा
28. मंगला पुत्र चैला (फौत) नाम हज्ब
29. रामू पुत्र श्योनारायण
30. राम कुमार पुत्र रामनिवास } नाम हज्ब
31. रामेश्वर पुत्र श्योनारायण
32. नन्छू पुत्र श्योनारायण
33. नारायण पुत्र भूरा (फौत) नाम हज्ब

समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–380 / 306 / 2000
उनवान– भगवानसहाय बनाम मन्नी वगै0
निर्णय दिनांक– 25.08.2023

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–25.08.2023

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 101 व खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 1120 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1153 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1154 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 1112/2426 रकबा 0.05 है0 कुल किता 17 का कुल रकबा 4.13 हैक्टेयर वाके ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं में स्थित है। उक्त भूमि ही विवादग्रस्त भूमि है। वादी के पिता की मृत्यु पश्चात् उक्त विवादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता के नाम तसदीक हो गया कि वादी के पिता की मृत्यु भूरा की पूर्व ही हो चूंकी थी जबकि उक्त भूमि का नामान्तकरण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता के नाम होना चाहिये था। वादी अधिकारी है कि विवादग्रस्त भूमि के 1/24 हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार, काश्तकार घोषित करें, राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता के नाम दर्ज खातेदारी में वादी का हिस्सा 1/24 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हिस्सा 1/24 दर्ज किया जायें। प्रतिवादीगण का पिता वादी को आश्वासन देता रहा कि जब भी भू प्रबंध कार्य होगा उक्त भूमि में आपका नाम दर्ज कर दिया जायेगा। इस दौरान सन् दिनांक 23.06.1992 को प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु हो गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा दिनांक 15.10.2000 को वादी को धमकी दी कि विवादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तानान्तरण करेंगे, प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने से उक्त वाद करण पैदा होकर दावा पेश करना लाजमी आया।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 12 ता 31, 33 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादी को विवादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे तो उनको कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। वे पूर्णतया सहमत है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में प्रदर्श–2 असल कुर्सीनामा रामदेव पुत्र भूराराम, प्रदर्श–3 कुर्सीनामा भूरा पुत्र भैरु, प्रदर्श–4 मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कालका...
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र भूराराम जाट व प्रदर्श—5 मृत्यु प्रमाण पत्र रामदेव जाट का पेश किये गये व मौखिक साक्ष्य के रुप में साक्ष्य शपथ—पत्र PW1 भगवानसहाय, PW2 कन्हैयालाल पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने कथन किया की वादी के पिता की मृत्यु पर विवादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता के नाम तसदीक हो गया कि वादी के पिता की मृत्यु, भूरा की मृत्यु से पूर्व ही हो चूंकि थी जबकि उक्त भूमि का नामान्तकरण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता के नाम होना चाहिए था। उक्त सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने भी अपनी सहमति अपने जवाब दावा में दी है। इसलिए भूमि विवादग्रस्त के 1/24 हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार, काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करने के आदेश फरमावें। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में पेश प्रदर्श—4 भूरा राम जाट से स्पष्ट है कि उनके 2 वारिस थे तथा वादी के पिता की मृत्यु भूरा की मृत्यु से पहले हो चूकी है तथा नामान्तकरण में भूमि विवादग्रस्त का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 के पति एवं 2 ता 6 के पिता के नाम तस्दीक हो गया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायालय अभिमत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 1120 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1153 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1154 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 1112/2426 रकबा 0.05 है0 कुल किता 17 का कुल रकबा 4.13 हैक्टेयर वाके ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं में वादी को 1/24 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तद्नुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रै0-2 मुख्यालय) चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

–: पीठासीन अधिकारी रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–380/306/2000

उनवान

भगवानसहाय पुत्र रामदेव जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज)

वादी

बनाम

1. मन्नी देवी बेवा चन्दा (फौत) नाम हज्ब
2. हनुमान पुत्र चन्दा (फौत)
   2/1. सीताराम पुत्र हनुमान
   2/2. सुमन देवी पुत्री हनुमान पत्नि कालूराम
   2/3. बीना देवी पुत्री हनुमान पत्नि मोहनलाल
3. बाबुलाल पुत्र चन्दा
4. श्रवण पुत्र चन्दा
5. बिरदीचन्द (फौत) नाम हज्ब
6. श्योजी पुत्र चन्दा
7. मंगल (फौत) नाम हज्ब
8. बंशी पुत्र रामसहाय
9. गोपाल पुत्र रामसहाय (फौत) नाम हज्ब
10. काना पुत्र रामकुवार
11. मोहन पुत्र ग्यारसा
12. रामनाथ (फौत) नाम हज्ब
13. झांझु (फौत) नाम हज्ब
14. रामनारायण
15. प्रभू पुत्र पोखर (फौत) नाम हज्ब
16. नानूराम पुत्र गोरु
17. रामलाल पुत्र गोरु
18. धापा बेवा गोरु
19. नारायणलाल पुत्र घीसा (फौत) नाम हज्ब
20. सांवरमल पुत्र रामकुवार
21. कमलेश पुत्र रामकुवार
22. मन्नी बेवा रामकुवार
23. सुण्डाराम पुत्र भूरा
24. रामकरण पुत्र भूरा
25. बाबूलाल पुत्र भूरा
26. रामलाल पुत्र भूरा
27. लछमा बेवा भूरा
28. मंगला पुत्र चैला (फौत) नाम हज्ब
29. रामू पुत्र श्योनारायण
30. राम कुमार पुत्र रामनिवास } नाम हज्ब
31. रामेश्वर पुत्र श्योनारायण
32. नन्छू पुत्र श्योनारायण
33. नारायण पुत्र भूरा (फौत) नाम हज्ब

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–380/306/2000
उनवान– भगवानसहाय बनाम मन्नी वगै0
निर्णय दिनांक– 25.08.2023

समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषण व स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

वादी द्वारा वाद पत्र में उक्त वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 1120 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1153 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1154 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 1112/2426 रकबा 0.05 है0 कुल किता 17 का कुल रकबा 4.13 हैक्टेयर वाके ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं में वादी को 1/24 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तद्नुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 25.08.2023 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर ... जिला–जयपुर

दस्तखत ...
ओहदा सहायक [illegible] (फर्स्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	
जोड़	3	जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible] (फर्स्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner